Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/सीलिंग/7044/2006/बून्दी

गोविन्दा पुत्र हरदेवा मीणा मृतक – जरिये (कायममुकाम)
1. प्रभूलाल
2. मोहनलाल
3. सोहनलाल
4. गंगाबाई
5. नर्बदा बाई
6. बरदीबाई

–पुत्र/पुत्रियां स्वर्गीय गोविन्दा मीणा निवासीगण बलकासा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार

.....रेस्पोडेंट

एकल पीठ
श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अशोक अग्रवाल व श्री रोहित सोनी, अधिवक्तागण, अपीलान्ट्स
श्री आर0पी0शर्मा, उप राजकीय अधिवक्ता, सरकार

निर्णय

दिनांकः– 08–05–2018

यह अपील राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 (संक्षेप में एतद्पश्चात् 'अधिनियम 1973') की धारा 23 (2) के अंतर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी के निर्णय दिनांक 06–10–2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्राधिकारी अधिकारी सहायक जिला कलक्टर बून्दी ने अपने निर्णय दिनांक 04–8–1975 के द्वारा अपीलार्थीगण की 308 बीघा 10 बिस्वा भूमि को सीलिंग सीमा से कम मानते हुए प्रकरण को समाप्त करने की आज्ञा पारित की। उक्त आज्ञा का राज्य सरकार के ध्यान में आने पर राजस्व (सीलिंग) विभाग, जयपुर ने अपना आदेश दिनांक 08–5–1981 इस आशय के पारित किया कि प्राधिकारी अधिकारी ने मामले में बंटवारा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार देखा नहीं जाना उल्लेखित करते हुए राज्यहित के प्रतिकूल घोषित करते हुए प्रकरण को जिला कलक्टर बून्दी को भेजकर निर्देशित किया कि प्रकरण को पुनः खोलकर निर्णय के प्रकाश में अपीलार्थीगण को नियमानुसार नोटिस देकर वर्णित सभी बिन्दुओं पर विस्तृत जांच के उपरान्त, कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपना निर्णय पारित करें। राज्य सरकार के उक्त आदेश की पालना में अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग बून्दी ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए विचारण प्रारम्भ किया। कालान्तर में अधीनस्थ न्यायालय ने मामले में दोनों पक्षों को बहस सुनकर उपलब्ध रेकार्ड के परिप्रेक्ष्य में अपना निर्णय दिनांक 06–10–2006 पारित किया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने हस्तगत अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि आक्षेपित निर्णय उपलब्ध रेकार्ड के विपरीत तथा विधि विरूद्ध है। उन्होंने कहा कि मामले में निर्णय दिनांक 04–9–1975 पारित कर भूमिधारी की 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि को अधिग्रहित कर लिया है। अतः इस कारण नियमानुसार मामले को पुनः रीओपन नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि पैतृक भूमि का कोपासनरों के मध्य कानूनन विभाजन किया जा सकता है। उन्होंने इस तथ्य को गलत बताया कि पैतृक भूमि का पिता के जीवनकाल में पुत्रों के मध्य विभाजन नहीं किया जा सकता है। उनका तर्क है कि भूमिधारी के दो पुत्रों को दिनांक 01–4–1966 से पूर्व भूमि का हिस्सा कर उनको सुपुर्द कर दी गई। इसके पश्चात एक पुत्र मोहन

को हिस्सा नहीं मिलने से उसने मामले में वाद दायर कर विभाजन की डिक्री दिनांक 10–10–1969 प्राप्त की है। उनका यह भी तर्क है कि भूमिधारी की सम्पूर्ण भूमि में दिनांक 1–4–1966 तक सिंचाई नहीं होती थी, इस कारण निर्धारिती के विरूद्ध प्रकरण नियमानुसार समाप्त करने में प्राधिकारी अधिकारी बून्दी ने किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। इसके विपरीत अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग बून्दी ने तथ्यों के विपरीत जाकर अपनी अधिकारिता का दुरूपयोग करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जो कि नितान्त त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अतः आक्षेपित निर्णय निरस्त होने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–10–2006 को अपास्त करते हुए अपीलार्थीगण के विरूद्ध संस्थित की गई सीलिंग कार्यवाही को समाप्त किए जाने का निवेदन किया है।

5. इसके विपरीत राज्य पक्ष के उप राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को न्यायसंगत, तर्कसंगत एवं विधि सम्मत बताते हुए अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त करने की प्रार्थना की है। उनका कथन है कि गोमदा व गोविन्दा एक ही व्यक्ति है। उपलब्ध रेकार्ड ग्राम रामपुरिया तहसील केशोराय पाटन जमाबंदी सम्वत 2015 के अनुसार गोविन्दा पिसरान हरदेव के खाते में 145 बीघा 6 बिस्वा भूमि है। इसके अतिरिक्त जमाबंदी ग्राम बलकासा सम्वत 2015 के अनुसार भूमिधारी के खाते में 46 बीघा 3 बिस्वा भूमि है। जमाबंदी ग्राम लक्ष्मीपुरा सम्वत 2015 में भूमिधारी के खाते में 64 बीघा 1 बिस्वा भूमि दर्ज है एवं जमाबंदी ग्राम बलकासा सम्वत 2015 के अनुसार गोमदा के पुत्र सोहनलाल के खाते में 53 बीघा दर्ज है। उक्त स्थिति में इस भूमि को जोडकर भूमिधारी की सीलिंग सीमा का निर्धारण किया जाना कानून सम्मत है। परिणामस्वरूप निर्धारिती के धारण में निर्धारित तिथि को 308 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज है। उनका आगे कहना है कि विभाजन की डिक्री निर्धारित तिथि के बाद पारित होने के कारण मान्य नहीं हो सकती है। आगे बताया कि घोषणा पत्र के अनुसार निर्धारिती के परिवार के 8 सदस्य मान्य है। उनका आगे तर्क है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा चम्बल कमाण्ड की क्रम संख्या 39 पर, ग्राम रामपुरिया क्रम संख्या 38 पर एवं ग्राम बलकासा

क्रम संख्या 36 पर गावों की सूची तहसील केशोराय पाटन में दर्ज है एवं उक्त गांवों की भूमि के वर्गीकरण प्रथम ग्रुप के गांव है जो क्रम संख्या 484-485-494 पर दर्ज है। इस कारण भूमिधारी 45 स्टेण्डर्ड एकड भूमि को अपने धारण में रख सकता है तथा शेष भूमि सीलिंग सरप्लस होती है। उनका आगे तर्क है कि आराजी पैतृक होनें बाबत साक्ष्य का अभाव है तथा निर्धारिती ने मिलान क्षेत्रफल, नामान्तरकरण की प्रतियों को प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण आलोच्य भूमि को पैतृक नहीं माना जा सकता है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में मामले में प्राधिकारी अधिकारी बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04-8-1975 नितान्त त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किए जाने योग्य है। जबकि अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग बून्दी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत होने के कारण यथावत रखे जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत समग्र रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया।

7. उपलब्ध रेकार्ड से यह परिलक्षित होता है कि गोमदा व गोविन्दा एक ही व्यक्ति है। उपलब्ध रेकार्ड ग्राम रामपुरिया तहसील केशोराय पाटन जमाबंदी सम्वत 2015 के अनुसार गोविन्दा पिसरान हरदेव के खाते में 145 बीघा 6 बिस्वा भूमि है। इसके अतिरिक्त जमाबंदी ग्राम बलकासा सम्वत 2015 के अनुसार भूमिधारी के खाते में 46 बीघा 3 बिस्वा भूमि है। जमाबंदी ग्राम लक्ष्मीपुरा सम्वत 2015 में भूमिधारी के खाते में 64 बीघा 1 बिस्वा भूमि दर्ज है एवं जमाबंदी ग्राम बलकासा सम्वत 2015 के अनुसार गोमदा के पुत्र सोहनलाल के खाते में 53 बीघा दर्ज है। उक्त स्थिति में इस भूमि को जोडकर भूमिधारी की सीलिंग सीमा निर्धारण किया जाना कानून सम्मत है। परिणामस्वरूप निर्धारिती के धारण में निर्धारित तिथि को 308 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज है। उपलब्ध घोषणा पत्र के अनुसार निर्धारिती के परिवार के 8 सदस्य मान्य है। रेकार्ड के अनुसार ग्राम लक्ष्मीपुरा चम्बल कमाण्ड की क्रम

संख्या 39 पर, ग्राम रामपुरिया क्रम संख्या 38 पर एवं ग्राम बलकासा क्रम संख्या 36 पर गावों की सूची तहसील केशोरायपाटन में दर्ज है एवं उक्त गांवों की भूमि के वर्गीकरण के अनुसार प्रथम ग्रुप के गांव है, जो कि क्रम संख्या 484–485–494 पर दर्ज है। इस कारण भूमिधारी नियमानुसार 45 स्टेण्डर्ड एकड भूमि को अपने धारण में रख सकता है तथा शेष भूमि सीलिंग सरप्लस होने योग्य है।

8. अपीलार्थीगण ने बहस में आक्षेप उठाया कि आराजी पैतृक सम्पत्ति है। रेकार्ड में आराजी पैतृक होने बाबत उन्होंने किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, इस कारण आराजी को पैतृक निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मामले में पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10–10–1969 का अपीलार्थीगण ने उज्र लिया है। इस क्रम में यहां यह लिखा जाना उचित है कि निर्धारिती द्वारा अन्तिम डिक्री को पेश नहीं किया है तथा विभाजन निर्धारित तिथि के बाद का होने के कारण मान्य नहीं हो सकता है। उक्त प्रारम्भिक डिक्री राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 व 53 के प्रावधानों के विपरीत धारित की जाती है। विधिक स्थिति यह है कि विभाजन केवल मात्र सहखातेदारान के मध्य ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उक्त विभाजन सीलिंग कार्यवाही में असफल होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा किया जाना प्रदर्शित होता है।

9. रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्धारिती के घोषणा पत्र के अनुसार उसके परिवार में 5 सदस्य ही है, अतः पांचों सदस्यों के परिवार के लिए भूमिधारी 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारित करने का अधिकारी है, जबकि निर्धारित तिथि दिनांक 1–4–1966 को भूमिधारी के धारण में 154–25 स्टेण्डड एकड भूमि थी। ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश दिनांक 6–10–2006 में किए गए विनिश्चय कि भूमिधारी की 124–25 स्टेण्डर्ड एकड भूमि सीलिंग सरप्लस करने में किसी विधि उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। अतः हमारी विनम्र राय में आक्षेपित आदेश विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत पारित किए जाने के कारण उसमें अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

10. परिणामतः प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–10–2006 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(द्वारका लाल मीणा)
सदस्य